रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 1987/अश्विन 9, 1909
No. 492] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 1987/ASHVINA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 872(अ).—केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के

आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 6 अप्रैल, 1987 के संख्यांक का. आ 328(अ) की अधिसूचना में इसके द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, "छह मास की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "30 नवम्बर, 1987 को अथवा इससे पूर्व" शब्द एवं अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं 23015/5/87-प्रशा.III]
क. पा. गीताकृष्णन, अपर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 1st October, 1987

## NOTIFICATION

S. O. 872 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. S. O. 328 (E), dated 6th April, 1987, namely :—

In the said notification, in paragraph 3, for the words "within a period of six months" the words and figures "on or before the 30th day of November, 1987" shall be substituted.

[F. No. 23015|5|87-Admn. III]
K. P. GEETHAKRISHNAN, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987